



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22062026-273701
CG-DL-E-22062026-273701

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3144]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 22, 2026/आषाढ 1, 1948

No. 3144]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 22, 2026/ASHADHA 1, 1948

पत्तन,पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 2026

का.आ. 3270(अ).— जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) अधिनियम, 2026 (2026 का 8) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा 01 जुलाई, 2026 की तिथि का निर्धारण करती है जिस दिन उक्त अधिनियम के प्रावधान, जहां तक उनका संबंध क्रमांक संख्या 80 और उक्त अधिनियम की अनुसूची में उससे संबंधित प्रविष्टियों से है, जो भारतीय पत्तन अधिनियम, 2025 (2025 का 27) से संबंधित हैं, लागू होंगे।

[फा. सं. पीडी-24015/9/2026-पीडी -I(भाग II)/ई-378973]

प्रवीण पी. नायर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 20th June, 2026

S.O. 3270(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2026 (8 of 2026), the Central Government hereby appoints the **1st day of July, 2026** as the date on which the provisions of the said Act, in so far as it relate to amendments to the Indian Ports Act, 2025 (27 of 2025) as mentioned against serial number 80 of the schedule to the said Act, shall come into force.

[F. No. PD-24015/9/2026-PD-I(Part-I)/E-378973]

PRAVEEN P. NAIR, Jt. Secy.